फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्र्टड पता 102, कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एलबीएस कॉलेज तिलक नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री शांतिलाल नाई पुत्र रामलाल नाई पता खमनोर, सोनियों का मौहल्ला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्रीमती ललिता देवी पत्नी शांतीलाल नाई पता खमनोर सोनियों का मौहल्ला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. श्री देव नारायण सोनी पुत्र प्रभुलाल सोनी पता–147 सोनियों का मौहल्ला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन पत्रावली संख्या 78/2019

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.01.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सम्पती का पूर्ण विवरण का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 18.12.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी कम्पनी कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है तथा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत एक सिक्योरिटाईजेशन कम्पनी है। प्रार्थी कम्पनी विधिनुसार सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 2 के अन्तर्गत एक वित्तीय संस्था है। गजट नोटिफिकेशन दिनांक 24.10.2018 के जरिये प्रार्थना पत्र 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत है। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध संख्या 64520 दिनांक 30.06.2017 के जरिये प्रार्थी कम्पनी से कुल 4,50,000/–रूपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी । उपरोक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी नम्बर 1977 सोनी मौहल्ला, खमनोर, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द पर स्थित सम्पत्ति को प्रार्थी कम्पनी के यहॉ मोरगेज किया था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वित्तीय सुविधा का ऋण अनुबंध पत्र मे वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी किश्तों का नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खाते दिनांक 15.09.2018 को विधिनुसार	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एनपीए घोषित कर दिया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त खाते को एनपीए घोषित करने के उपरान्त विधिनुसार अप्रार्थीगण को सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांकित 18.07.2019 को प्रेषित कर अप्रार्थीगण से दिनांक 22.06.2019 तक कुल बकाया राशि 4,49,217/–रूपये व भुगतान की तिथि तक की अतिरिक्त बकाया राशि मय ब्याज की मांग की गयी तथा उक्त राशि को नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर भुगतान करने हेतु कहा। इस प्रकार अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस की तामिल हो गई तथा तामिल के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाही विधिनुसार की गई है तथा उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण की सम्पत्ति आराजी नम्बर 1977 जो सोनी मौहल्ला, खमनोर तहसील खमनोर में स्थित हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः– बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री शांतीलाल नाई, पटटा नम्बर 026, पृष्ट क्रमांक 001 है, जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप 427.7 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – आम रास्ता, पश्चिम – छोगालाल महात्मा का वाडा, उत्तर – छगनलाल का मकान, दक्षिण – गोपाल सोनी का मकान।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 18.07.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री शांतीलाल नाई, पटटा नम्बर 026, पृष्ट क्रमांक 001 है, जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप 427.7 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :–

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पूर्व – आम रास्ता, पश्चिम – छोगालाल महात्मा का वाडा, उत्तर – छगनलाल का मकान, दक्षिण – गोपाल सोनी का मकान।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)